राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

''ए'' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005
दूरभाष–0141–2740239, ई मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/10405 दिनांक :– 23.12.2025

आदेश संख्या :– 470/2025–26

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2013 में सफल घोषित अभ्यर्थी श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री हनुमान राम को विभागीय आदेश संख्या 66/2017–18 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। लेकिन अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायिक/आपराधिक प्रकरण लम्बित होने के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक 12.07.2017 के द्वारा नियुक्ति आदेश को आगामी आदेशों तक आस्थगित किया गया था।

मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट सं. 15899/2019 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2023 की पालना में श्री जगदीश को विभागीय आदेश क्रमांक 290 दिनांक 09.06.2023 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पुनः नियुक्त किया गया था।

अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप एवं मान0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णयानुसार श्री जगदीश कुमार को दिनांक 30.06.2017 को जारी प्रथम नियुक्ति आदेशों के क्रम में समान अभ्यर्थियों की कार्यग्रहण तिथि के अनुसार काल्पनिक लाभ देते हुए वेतन नियमितिकरण/स्थाईकरण किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिंक नं.	मेरिट नं.	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	वेतन नियमितिकरण तिथि	स्थाईकरण तिथि
1.	जगदीश कुमार	12490	1724/2013	01.07.1991	13.06.2023	12.06.2025	13.06.2025	04.11.2025

नोटः– श्री जगदीश कुमार को दिनांक 30.06.2017 को जारी प्रथम नियुक्ति आदेशों के क्रम में समान अभ्यर्थियों की कार्यग्रहण तिथि 03.07.2017 के आधार पर परिवीक्षाकाल दिनांक 02.07.2019 को पूर्ण मानते हुए दिनांक 03.07.2019 से 12.06.2025 तक नोशनल फिक्सेशन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष स्तर से किया जावेगा।

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे–मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे। उक्त अभ्यर्थी को नगद परिलाभ वास्तविक कार्यग्रहण तिथि 13.06.2023 से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि 12.06.2025 के पश्चात अर्थात दिनांक 13.06.2025 से देय होंगे।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों/वादों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

23/12/2025
(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/10405 दिनांक :– 23.12.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.......................................।
3. उप निदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार ....।
6. रक्षित पत्रावली।

23/12/25
(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक II/III)